राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्या 2006/1568/चुरू   राजस्थान सरकार बनाम श्रीमती राजां देवी व अन्य

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.02.2020	**एकलपीठ** **श्री मोडू दान देथा, सदस्य** **उपस्थित :** **श्री लोकेन्द्र सिंह राणावत, उप राजकीय अभिभाषक प्रार्थी** **श्री पूर्णा शंकर दशोरा, अभिभाषक अप्रार्थी** प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्नानुसार है अतिरिक्त तहसीलदार बीदासर ने जिला कलक्टर चूरू को रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के शीर्षक से इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि मिसल बंदोबस्त 2002 तथा जमाबंदी सम्वत 2010 से 2012 ग्राम बाढसर के अनुसार साबिक ख0न0 226 तादादी 60 बीघा 17 बिस्वा आराजी मकबूजा ठिकाना दर्ज है। तथा जमाबंदी 2013 से 16 में सादूल सिंह, बलराम सिंह कौम राजपूत साकिन बाडसर काश्तकार अंकित है। तथा पश्चात में 2017 से 20 में मिलकियत सरकार बंजड अंकित है। मिसल बंदोबस्त सम्वत 2028 में ख0नं0 226 के नये खसरा नम्बर 83 तादादी 4 बिस्वा व 106 तादादी 10 बीघा व 229 तादादी 2 बीघा 5 बिस्वा तथा 265 तादादी 48 बीघा 8 बिस्वा बने जिसमें खसरा नंबर 83 रास्ता व 229 सड़क में चले गये। ख0नं0 106 व 265 गैर मुमकिन गोचर दर्ज है। जो सम्वत 2028 से 2058 तक गैर मुमकिन गोचर अंकित है। श्रीमान सहायक कलक्टर माहोदय सुजानगढ़ के निर्णय दिनांक 23.10.2000 के अनुसार ख0नं0 265 तादादी 48 बीघा 8 बिस्वा की खातेदारी श्रीमती राजादेवी बेवा नानूराम, हीरालाल, रामलाल पि0 नानूराम जाति जाट निवासी बाढसर के नाम करने का निर्णय हुआ। निर्णय दिनांक 23.10.2000 की पालना में पटवारी हल्का बाढ़सर द्वारा नामान्तकरण संख्या 358 के द्वारा खसरा नम्बर 265 तादादी 48 बीघा 8 बिस्वा की खातेदारी राजादेवी बेवाह नानूराम, हीरालाल, रामलाल पि0 नानूराम जाति जाट निवासी बाढसर के नाम दिनांक 08.03.2002 के द्वारा वर्तमान में अंकित हो गयी। कथन किया कि चूंकि भूमि गैर मुमकिन गोचर अंकित थी जो नियमों के विपरीत श्रीमती राजादेवी बेवा नानूराम, हीरालाल, रामलाल पि0 नानूराम जाति जाट निवासी बाढसर के नाम खामेदारी अंकित हुई है जो अवैध व नियमों के विपरीत है जो पुनः गैर मुमकिन गोचर दर्ज करने हेतु रेफरन्स है। रेफरेन्स का अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत किया और कथन किया कि जागीर उन्मूलन के पहले यह भूमि मकबूजा ठिकाना थी उन्मूलन पर आराजी राज काबिल काश्त भूमि रही है। जिस पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त रहा है जो आज भी है तथा उक्त भूमि को आवंटन नियमन परामर्श	

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	समिति द्वारा दिनांक 17.10.75 को नानूराम का कब्जा पुराना मानकर नियमन की सिफारिश की गई थी लेकिन भू प्रबन्धन ने इसे गलती से गोचर दर्ज कर दी। किस्म परिवर्तन कर नियमन द्वारा आवंटन नहीं हुआ है। भू प्रबन्ध विभाग को इस तरह करने का अधिकार नहीं था। तथा मियाद अधिनियम के अनुसार अप्रार्थीगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। खातेदारी घोषित किये जाने के बाद इस तरह से रेफरेन्स के जरिये निर्णय को नहीं बदला जा सकता। निर्णय व डिक्री में तहसीलदार सुजानगढ व नायब तहसीलदार बीदासर पक्षकार थे, और उन्होंने निर्णय की डिक्री की पालना नामान्तकरण तस्दीक कर की। अप्रार्थीगण का बरसों से कब्जा रहा है और अनेको प्रकार से सुधार कार्य कर उपजाऊ बनाया है। नियमन समिति में दो विधायक एसडीओ, तहसीलदार विकास अधिकारी आदि की मौजूदगी में किया गया था। अतः रेफरेन्स खारिज किया जावे। अतिरिक्त कलक्टर ने अपने प्रकरण संख्या 31/2014 दिनांक 14.06.2014 द्वारा रेफरेन्स अपने संस्तुति के द्वारा मण्डल को प्रेषित किया। उभयपक्ष के विद्वान वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि मिसल हरकीयत सम्वत 2028 में आराजी गोचर दर्ज थी। जिस समय इसका नियमन किया जाना कथित किया है उस समय 1975 में अर्थात 2032 में आराजी गोचर दर्ज थी गोचर दर्ज आराजी का आवंटन या नियमन किया जाना नियमानुकूल नहीं था सहायक कलक्टर ने अपने आदेश को नियमन कमेटी की सिफारिश के आधार पर तथा मौखिक साक्ष्य के आधार पर निर्णीत किया है जो उचित नहीं है अतः रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर आराजी गोचर दर्ज की जावे। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने तर्क दिया कि भूमि सम्वत 2002 तथा सम्वत 2010 से 12 में मकबूजा ठिकाना दर्ज है जिसका आशय सिवाय चक से है। जब काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ तब आराजी चारागाह दर्ज नहीं थी अपितु सिवाय चक दर्ज थी जागीर उन्मूलन होने के फलस्वरूप मकबूजा ठिकाना सिवाय चक हो गई और ऐसी सिवाय चक भूमि का आवंटन किया जा सकता है। राज्य सरकार के इस संबंध में अनेक परिपत्र जिसके अनुसार चारागाहा भूमि पर अतिक्रमण के नियमन के भी आदेश है। 1975 में एक अभियान के स्वरूप यह नियमन किये गये थे ताकि कृषि उत्पाद बढे और यह राज्य की नीति का भाग थी। इस संबंध में 1983 के परिपत्र के अनुसार 1 जनवरी 1970 से पूर्व का अतिक्रमण नियमन योग्य है। इसी अनुरूप 1981 के परिपत्र में 1966 से पूर्व का उल्लेख है इससे पहले भी समय–समय पर ऐसे आदेश रहे है। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि नियमन कार्यवाही विवरण पेश करना हमारा काम नहीं था रेफरेन्स में नियमन पत्रावली मंगवाना अतिरिक्त कलक्टर का	

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कार्य था साथ ही सहायक कलक्टर की पत्रावली भी तलब नहीं की गई थी। केवल निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि को देखकर ही निर्णय किया गया है जबकि वाद एक विस्तृत कार्यवाही होता है। उसमें वाद पत्रावली का अवलोकन उचित रहता है और उसमें उभयपक्षों के कथन साक्ष्य दस्तावेजी या मौखिक सारे तथ्य रहते है प्रस्तुत प्रकरण में वाद में सरकार सरवान पक्षकार थी। ऐसी स्थिति में वाद की पत्रावली देखा जाना उचित था। भू प्रबन्ध विभाग को पूर्व से चली आ रही सिवाय चक भूमि को जो किन्ही कारणों से काश्तकारों के नाम दर्ज नहीं हो पाई है किन्तु उस पर लम्बे समय से कब्जा काश्त है उसे बिना समुचित आदेश के सक्षम आदेश के बिना चारागाह दर्ज नहीं किया जा सकता। क्योंकि चारागाह दर्ज करना भू उपयोग परिवर्तन दर्ज करना है। जो एक तरीके से काश्तकारों को चराई का अधिकार देता है और ऐसा अधिकार परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यहां किस्म परिवर्तन का तो बिन्दु ही नहीं था क्योंकि आराजी शुरू से ही सिवाय चक थी और गलत रूप से चारागाह दर्ज हो गई थी। इस आराजी को हमने हमारे पुराने कब्जे के समय से समय, श्रम एवं धन लगाकर विकसित किया है और यह हमारे जीवन निर्वाह का साधन है अब सक्षम न्यायालय के निर्णय उपरान्त और आवंटन उपरान्त इसे गलत रूप से चारागाह दर्ज के आधार पर चारागाह दर्ज करना न्याय का उपहास होगा। विचारण न्यायालय भू प्रबन्ध के दौरान गलत इन्द्राजात को सुधारने एवं घोषणा हेतु धारा 88 व 89 आरटीएक्ट में कानूनी रूप से सक्षम थे तथा चारागाह के बारे में तत्समय अभियान के रूप में नियमन होने से यह राज्य नीति या लोक नीति के विरूद्ध निर्णय नहीं था। नियमन अधिक अन्न उत्पादन व भूमिहीनों को भूमि देने की राज्य नीति के अन्तर्गत अभियान चलाकर राज्य भर मे हुए थे। क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय नहीं था निर्णय उभयपक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देकर तनकीयात की विरचना कर तनकी बार विवेचन कर दिया हुआ न्याय निर्णय हैं जिसकी नियामें/विधि में अपील के ज्ञात है जो अपील नहीं कर अनुचित रूप से यह रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है। इन्होंने स्वयं ने निर्णय की पालना कर दी थी। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वैसे भी रेफरेन्स का प्रार्थना पत्र अतिरिक्त तहसीलदार ने दिया है अतिरिक्त तहसीलदार को तहसीलदार की समस्त शक्तियां प्राप्त नहीं होती है यह काश्तकारी अधिनियम एवं भू राजस्व अधिनियम में दी गई परिभाषा से स्पष्ट है ऐसी स्थिति में रेफरेन्स प्रार्थन पत्र भी सम्यक रूप से लगाया हुआ नहीं होने से संस्तुतिकरण योग्य नहीं था और ऐसे असक्षम प्रार्थना पत्र के आधार पर यहां कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता है। अतः रेफरेन्स अस्वीकार किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान वकुलाय के कथनों पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र एवं अतिरिक्त कलक्टर के निर्णय अनुसार आराजी प्रारम्भ में मकबूजा राज एवं सिवाय चक रही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम लागू होने के दिवस आराजी चारागाह दर्ज नहीं थी निर्णय अनुसार आराजी भू प्रबन्ध पश्चात भू प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार जमाबंदी में सम्वत 2028 में प्रथमतः गोचर दर्ज हुई। गोचर हेतु भूमि आरक्षित होकर दर्ज हुई हो सक्षम	

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधिकारी के आदेश से दर्ज हुई हो ऐसा कोई संदर्भ रेफरेन्स प्रार्थना पत्र एवं रेफरेन्स अग्रेषण संस्तुति आदेश में नहीं है। इससे पत्रावली पर यही तथ्य उभरता है कि भू प्रबन्ध पूर्व चारागाह दर्ज नहीं थी। भू प्रबन्ध में चारागाह दर्ज हुई थी और यह भू प्रबन्ध प्रथम भू प्रबन्ध नहीं होकर पश्चातवर्ती भू प्रबन्ध था और ऐसे पश्चातवर्ती भू प्रबन्ध के बारे में निर्णयज विधि यह है कि सक्षम आदेश के बिना स्वत्व एवं अधिकार में भू प्रबन्ध विभाग परिवर्तन नहीं कर सकता है। चारागाह चराई का अधिकार देता है ऐसा कथन आया है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि पत्रावली से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि चारागाह सक्षम अधिकारी के आदेश से दर्ज हुई थी साथ ही यह भूमि ऐसी भी चारागाह नहीं है जो कि सदियों से इस तरह प्रयुक्त होने के कारण भू प्रबन्ध विभाग ने प्रथम (बरअव्वल) भू प्रबंध में चारागाह दर्ज की। ऐसी स्थिति में इस तरह के परिवर्तन जो पश्चातवर्ती भू प्रबंध में हुए हो उसे स्वत्व व अधिकार के रूप में खातेदारी घोषणा के समय सक्षम न्यायालय द्वारा उसके प्रभाव के स्वरूप के में देखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में सहायक कलक्टर का निर्णय उनके द्वारा प्रकरण पर विचार कर निर्णित करना सर्वथा क्षेत्राधिकार से बाहर होने की स्थिति नहीं उभरती है। कथन यह भी आया है कि 1975 में ऐसे आवंटन अभियान के रूप में राज्य की नीति के रूप में हुए थे जिसका उददेश्य भूमिहीनों को भूमि देकर अन्न उत्पादन बढाना था। यह भी कथन आया है कि इस संबंध में राज्य सरकार के नियमन बाबत परिपत्र है। इस स्थिति का अतिरिक्त कलक्टर के निर्णय में कोई विवेचन नहीं है। पत्रावली से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि सहायक कलक्टर की पत्रावली को तलब किया गया था। तथा आवंटन सलाहकार समीति के कार्यवाही विवरण को तलब किया गया था ऐसी स्थित में इनको तलब किये बिना दिया गया आदेश या संस्तुति प्रस्तुत प्रकरण के संदर्भ में उसके तथ्य एवं परिस्थिति की दृष्टि से नियमन को निरस्त कर तथा सहायक कलक्टर के निर्णय को निरस्त कर रेफरेन्स को स्वीकार करने हेतु उचित आधार प्रकट नहीं करते है। इनके विवेचन से रहित संस्तुति तथ्यों का सम्यक अवलोकन कर की गई संस्तुती नहीं कही जा सकती और रेफरेंस स्वीकार करने का आधार नहीं हो सकती है। विचार कर निर्णय हेतु विचारण न्यायालय सक्षम नहीं था ऐसा कथन ऐसी संस्तुति नहीं आई है घोषणा के वाद के विचारण हेतु सहायक कलक्टर कानूनन सक्षम है और उसके साथ सैटलमेंट की त्रुटि पर भी विचारण हेतु सक्षम है। ऐसी स्थिति में आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर दिया हुआ प्रतीत नहीं होता है। और आदेश अपील योग्य है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रकरण जिस स्थिति में भेजा गया है स्वीकार करने योग्य नहीं है। परिणामतः यह रेफरेन्स खारिज किया जाता है। अतिरिक्त कलक्टर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगाकर तथा आवंटन सलाहाकार समीति का कार्यवाही विवरण मंगवाकर यदि उचित पाते है कि प्रकरण रेफरेन्स करने/अपील करने/अन्यथा कोई कार्यवाही करने हेतु योग्य पाते है। तो तदनुसार विचार कर कार्यवाही कर सकते है। जिस हेतु इस रेफरेंस का निर्णय बाधक नहीं रहेगा। उपरोक्तानुसार यह रेफरेन्स खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।) **(मोडू दान देथा), सदस्य**	